

Final certificate can be downloaded at http://upfireservice.gov.in/noc_issued_document.php

The details of the procedure can be accessed at point G of http://upfireservice.gov.in/images/obtaing_fire_noc.pdf

Copy of sample certificate is provided below.

कार्यालय: मुख्य अग्निशमन अधिकारी इटावा/औरैया ।

पत्र संख्या: स-22/एफ0एस0-16(औरैया)

दिनांक: जून 9, 2016

सेवा में

✓ प्रबन्धक/स्वामी

मैसर्स मोहम्मद एच0पी0 ग्रामीण

गैस वितरक ग्राम सेंगनपुर

अजीतमल, औरैया।

विषय: तहसील अजीतमल के गाटा संख्या: 12, 13, 14, 15, 47 ख सराय बी.बी. ग्राम सेंगनपुर में मैसर्स मोहम्मद एच0पी0 ग्रामीण गैस वितरक हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ: UID NO. 2016/22003/AUR/AURAIYA/28/C.F.O .

कृपया उपरोक्त विषयक प्राप्त मानचित्रों के अनुसार प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया तो आख्या निम्नवत है।

1-भवन की संरचना :-

- (अ) कुल प्लाट ऐरिया - 1000 वर्गमीटर ।
- (ब) कर्वड ऐरिया - 139.29 वर्गमीटर ।
- (स) ओपेन ऐरिया - 860.71 वर्गमीटर ।
- (द) स्टोरेज भवन की ऊँचाई - 06 मीटर ।

2-ढाँचागत व्यवस्था :-

- (i) पहुँच मार्ग -एन.एच.-2 से भीखेपुर से सेंगनपुर ग्रामीण क्षेत्र लिंक रोड पर स्थित है जिस पर फायर सर्विस के वाहन आसानी से आ जा सकते हैं। तथा मानचित्र में स्थल के सामने 18 मीटर चौड़ाई का पहुँच मार्ग उपलब्ध है
- (ii)सेटवैक -(अ) अग्रभाग-06.10 मीटर (ब) पृष्ठ भाग -06 मीटर (स) पार्श्व भाग प्रथम-06.10 मीटर (द) पार्श्व भाग द्वितीय -06.10 मीटर ।

3- अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था :-

- 1-गोदाम भवन में ए.वी.सी. टाईप 04 अद्द फायर एक्सटिंग्यूशर 06 कि0ग्रा0 क्षमता के स्थापित किये जायें।
- 2-बालू भरी बाल्टी -06 अद्द समुचित स्टेण्ड में रखे जाने का प्राविधान किया जाय।
- 3-पर्याप्त पानी का स्टोरेज रखा जाय।
- 4-धूम्रपान निषेध बोर्ड समुचित स्थान पर स्थापित कराया जाय।
- 5-आपातकालीन टेलीफोन नं0 बोर्ड की सूची का प्राविधान किया जाय।
- 6-स्थल पर आवासीय भवन का निर्माण प्रतिबन्धित होगा।
- 7-गैस गोदाम अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होंगे।

अतः उपरोक्तानुसार ग्राम सेंगनपुर तहसील अजीतमल जनपद औरैया के गाटा संख्या 12, 13, 14, 15, 47 ख सराय वी.वी. में मैसर्स मोहम्मद एच.0पी0 ग्रामीण गैस वितरक गोदाम भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि प्रबन्धक/स्वामी द्वारा भवन

-----शेष दो पर

निर्माणोपरान्त प्रयोग में लाने से पूर्व प्रस्तावित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को पूर्ण कर भौतिक रूप से निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग के सक्षम अधिकारियों से कराकर अन्तिम अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

Deval
9/6/16
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
इटावा/औरैया

प्रतिलिपि:

1-प्रभारी अग्निशमन अधिकारी औरैया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
इटावा/औरैया